पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

पुरुषोत्तम यादव उर्फ छोटू यादव

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

2023 की आपराधिक अपील(ए.पी.) संख्या 3209

29 जनवरी, 2024

[माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह]

विचार के लिए मुद्दा

सत्र परीक्षण वाद संख्या 348/2022 के संबंध में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, भागलपुर के न्यायालय द्वारा पारित अस्वीकृति आदेश सही है या नहीं?

हेडनोट्स

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 340—के अनुसार पुलिस अधिकारी ने थाने में प्रथम सूचना दर्ज होने के समय के संबंध में औपचारिक प्राथमिकी में एक अंतर्वेशन किया है—धारा 340 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए दो पूर्व शर्तें हैं- पहली, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री धारा 195 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अपराध की जांच के उद्देश्य से शिकायत में प्रथम दृष्टया मामला बनाती है; और दूसरी बात, न्याय के हित में यह समीचीन है कि कथित अपराध की जांच की जानी चाहिए।

निर्णीत: न्यायालय को प्रदत्त अधिकार और शक्ति का प्रयोग सामान्यतः तभी किया जाएगा जब न्यायालय को लगे कि न्याय के हित में ऐसा करना उचित है और कथित अपराध उस दस्तावेज के संबंध में किया गया है जो अपराध के समय न्यायालय की अभिरक्षा में था—विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता की प्रार्थना को सही रूप से खारिज कर दिया है और अपील में कोई योग्यता नहीं है—अपील खारिज की जाती है।

(पैराग्राफ 5 से 6)

न्याय दृष्टान्त

इकबाल सिंह मारवाह और अन्य बनाम मीनाक्षी मारवाह और अन्य, (2005) 4 एससीसी 370—**पर भरोसा किया गया।**

सुरेश चंद्र शर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2011) 11 एससीसी 173; भीमा राजू प्रसाद बनाम राज्य का प्रतिनिधित्व पुलिस उपाधीक्षक सीबीआई/एसीयू-II द्वारा किया गया,

(2021) 19 एससीसी 25; नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, (2019) 3 एससीसी 318—**विशिष्ट किया गया।**

सुधीर कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, सी.डब्ल्यू.जे.सी. केस संख्या **1002/2021;** श्रीधर दास एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, सी.डब्ल्यू.जे.सी. केस संख्या **11492/2023—संदर्भित किया गया।**

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

मुख्य शब्दों की सूची

औपचारिक प्राथमिकी में अंतर्वेशन; न्याय का हित; धारा 340 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए दो पूर्व शर्तें

प्रकरण से उत्पन्न

सत्र परीक्षण वाद संख्या 348/2022 के संबंध में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, भागलपुर की अदालत द्वारा अस्वीकृति का आदेश पारित किया गया।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से: श्री विक्रम सिंह, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से: श्री रामचंद्र सिंह, एपीपी।

सूचनाकर्ता की ओर से: श्री उमेश प्रसाद सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री रजनी कांत सिंह, अधिवक्ता।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 की आपराधिक अपील (ए.पी.) संख्या 3209

थाना कांड संख्या-102 वर्ष-2019 थाना-परबत्ता जिला-भागलपुर से उद्भूत

==========

पुरषोत्तम यादव उर्फ छोटू यादव, पिता-राम रति यादव, निवासी, ग्राम-लतरा, थाना-गोपालपुर, जिला- भागलपुर।

... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. श्री नारायण पांडे, पिता-स्वर्गीय बहादुर पांडे, निवासी, ग्राम-दरमाहा, थाना-केसरिया, जिला- मोतिहारी(पूर्वी चंपारण)

... प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति :

अपीलकर्ता/प्रतिवादियों की ओर से	:	श्री विक्रम सिंह, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	:	श्री रामचंद्र सिंह, एपीपी
सूचनाकर्ता की ओर से	:	श्री उमेश प्रसाद सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री रजनी कांत सिंह, अधिवक्ता

==========

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

मौखिक आदेश

5 29-01-2024

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान एपीपी और सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. यह तात्कालिक अपील भागलपुर के विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा दिनांक 24.05.2023 को पारित आदेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में दं.प्र.सं.) की धारा 341 के तहत प्रस्तुत की गई है, जो सत्र परीक्षण वाद संख्या 348/2022 (पूर्व में एस.टी.आर. वाद संख्या 82/2020) के संबंध में है, जो परबत्ता थाना वाद संख्या 102/2019 से उत्पन्न हुआ है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पंजीकृत है, जिसके तहत अपीलकर्ता द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 340 के तहत जांच करने की प्रार्थना की गई है।

3. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 2, जो वर्तमान मामले में जांच अधिकारी थे, ने परबत्ता पी.एस. केस संख्या 102/2019 से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट में इंटरपोलेशन और एंटी-टाइमिंग प्रविष्टियां कीं और उसके बाद उन्हें विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिसके लिए उक्त अदालत का ध्यान प्रतिवादी संख्या 2 की परीक्षा के समय आकर्षित किया गया था, जिसकी अभियोजन पक्ष के गवाह पी.डब्लू. 5 के रूप में जांच की गई थी, लेकिन संबंधित पुलिस अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 2/पी.डब्लू. 5) द्वारा की गई गलती की गंभीरता पर विचार किए बिना, अपीलकर्ता की प्रार्थना को मुख्य रूप से इन आधारों पर खारिज कर दिया गया था कि दं.प्र.सं. की धारा 340 के तहत कार्यवाही शुरू करना न तो समीचीन था और न ही न्याय के हित में था और कथित जालसाजी, यदि कोई हो, अदालत के बाहर की गई थी। लेकिन उक्त आधार उचित नहीं हैं, जैसा कि स्वीकार किया जाता है, प्राथमिकी, जिसमें प्रतिवादी संख्या द्वारा कथित इंटरपोलेशन किया गया था और उसको विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और अभियोजन पक्ष द्वारा इसका उपयोग किया गया और अपीलकर्ता की प्रार्थना पर, विचारण न्यायालय को यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच करनी चाहिए थी कि क्या आईपीसी की धारा 193 और अन्य प्रासंगिक दंडात्मक धाराओं के तहत दंडनीय अपराध

किए गए थे या नहीं, लेकिन उक्त जांच का सहारा लिए बिना विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता की प्रार्थना को मनमाने ढंग से खारिज कर दिया।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है, जो **भीमा राजू प्रसाद बनाम राज्य** के मामले में पारित हुए हैं, जिसका प्रतिनिधित्व **सीबीआई/एसीयू-II के पुलिस उपाधीक्षक** ने किया था, जिसकी रिपोर्ट (2021) 19 एससीसी 25 में की गई, **नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव बनाम बिहार राज्य और अन्य**, जिसकी रिपोर्ट (2019) 3 एससीसी 318 में की गई और **सुरेश चंद्र शर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य**, जिसकी रिपोर्ट (2011) 11 एससीसी 173 में की गई।

4. इसके विपरीत, सूचक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तत्काल अपील का पुरजोर विरोध किया और प्रस्तुत किया कि बेशक, जालसाजी का कथित अपराध, यदि कोई हो, संबंधित अदालत के बाहर किया गया था, इसलिए संबंधित विचारण न्यायालय के लिए दं.प्र.सं. की धारा 340 के तहत जांच शुरू करना अनिवार्य नहीं था। और इसके अलावा, अपीलकर्ता ने मौखिक रूप में अपनी शिकायत उठाई, जबकि दं.प्र.सं. की धारा 340 के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित अदालत के समक्ष एक लिखित शिकायत होनी चाहिए, जो अदालती कार्यवाही में दं.प्र.सं. की धारा 195 में विस्तृत अपराध या अपराधों के होने का आरोप लगाता है और मुख्य रूप से इस कानूनी पहलू पर, अपीलकर्ता की प्रार्थना विचारण न्यायालय के समक्ष रखरखाव योग्य नहीं थी और इसके अलावा, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता के मामले के चरण पर विचार करते हुए अपीलकर्ता की प्रार्थना को खारिज करते हुए अपने विवेक का सही इस्तेमाल किया। विद्वान वरिष्ठ वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **इकबाल सिंह मारवाह और अन्य बनाम मीनाक्षी मारवाह और अन्य**, (2005) 4 एससीसी 370 में पारित फैसले के साथ-साथ **सुधीर कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य** में पारित सी.डब्लू.जे.सी. केस संख्या

1002/2021 में और **श्रीधर दास एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य** सी.डब्लू.जे.सी. केस संख्या 11492/2023 में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा है।

5. दोनों पक्षों को सुना और आदेश का अवलोकन किया। दं.प्र.सं. की धारा 340 के प्रावधानों की भावना के अनुसार, दं.प्र.सं. की धारा 340 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए दो पूर्व शर्तें हैं, पहली, अदालत के समक्ष पेश की गई सामग्री धारा **195 की उपधारा (1) के खंड (बी)** में निर्दिष्ट अपराध की जांच के उद्देश्य से शिकायत में प्रथम दृष्टया मामला बनाती है और दूसरी बात, न्याय के हित में यह समीचीन है कि कथित अपराध की जांच की जानी चाहिए। वर्तमान मामले में, आरोप के अनुसार, संबंधित पुलिस अधिकारी ने परबत्ता थाना की औपचारिक प्राथमिकी में एक प्रक्षेप किया। मामला संख्या 102/2019 उस समय के संबंध में जब पुलिस स्टेशन में पहली सूचना दर्ज की गई थी और अपीलकर्ता की प्रार्थना को खारिज करते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय ने देखा कि कथित जालसाजी, यदि कोई हो, के संबंध में दं.प्र.सं. की धारा 340 के तहत कार्यवाही शुरू करना न तो समीचीन है और न ही न्याय के हित में है। अपीलकर्ता ने कथित गलती को विचारण न्यायालय के ज्ञान में तब लाया जब उसका मुकदमा उन्नत चरण में था और बहस के दौरान, सूचक के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान समय में, अपीलकर्ता का मामला अंतिम चरण में है और बेशक, कथित गलती, यदि कोई हो, विचारण न्यायालय के बाहर की गई थी और **इकबाल सिंह** (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की माननीय संविधान पीठ ने पैराग्राफ संख्या में देखा। उक्त निर्णय की धारा 23 में कहा गया है कि *"न्यायालय धारा 195(1)(बी) में निर्दिष्ट अपराध के बारे में शिकायत करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि धारा में यह शर्त है कि **"न्यायालय की राय है कि यह न्याय के हित में समीचीन है"***, इससे पता चलता है कि ऐसा तरीका तभी अपनाया जाएगा जब न्याय के हित की आवश्यकता होगी और हर मामले में नहीं।" उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 33 में आगे कहा गया है कि *"ऊपर की गई चर्चा के मद्देनजर, हमारा विचार है कि **सचिदा नंद सिंह** मामले में सही निर्णय लिया गया है और उसमें*

लिया गया दृष्टिकोण सही दृष्टिकोण है, दं.प्र.सं. की धारा 195(1)(बी)(ii) केवल तभी लागू होगी जब उक्त प्रावधान में सूचीबद्ध अपराध किसी दस्तावेज़ के संबंध में किसी भी अदालत में कार्यवाही में पेश किए जाने या साक्ष्य में दिए जाने के बाद किए गए हों, यानी उस समय के दौरान जब दस्तावेज़ हिरासत में था।" माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त सिद्धांत के आलोक में, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि न्यायालय को प्रदत्त अधिकार और शक्ति का प्रयोग सामान्यतः तभी किया जाएगा जब न्यायालय को लगे कि यह न्याय के हित में समीचीन है और कथित गलत/अपराध उस दस्तावेज के संबंध में किया गया है जो अपराध के समय न्यायालय की अभिरक्षा में था।

इस मामले में, सबसे पहले, औपचारिक प्राथमिकी में प्रक्षेप के संबंध में कथित गलत संबंधित न्यायालय की कार्यवाही के बाहर किया गया था और दूसरे, जब कथित गलत को विचारण न्यायालय के संज्ञान में लाया गया, तब अपीलकर्ता का ट्रायल अग्रिम चरण में था और तीसरे, केस डायरी के अवलोकन से अभियोजन पक्ष को लाभ पहुंचाने वाली या कथित प्रक्षेप के कारण अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली कोई सामग्री प्रकट नहीं होती है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरेश चंद्र शर्मा (सुप्रा) के मामले में पारित निर्णय पर भरोसा किया है। उद्धृत मामले के तथ्य पूरी तरह से अलग हैं क्योंकि उस मामले में, संबंधित सत्र न्यायाधीश प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि अपीलकर्ता, जो उस मामले में जांच अधिकारी थे, ने जांच के दौरान तैयार किए गए विभिन्न दस्तावेजों में समय को गुप्त रूप से डालकर झूठे साक्ष्य गढ़े थे, जबकि वर्तमान मामले में, संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा परीक्षण के दौरान किसी दस्तावेज के संबंध में झूठे साक्ष्य गढ़ने का कोई आरोप नहीं है, जो कि परीक्षण न्यायालय के संरक्षण में था, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त संदर्भित निर्णय में निर्धारित सिद्धांत अपीलकर्ता की मदद नहीं करता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *भीमा राजा प्रसाद (सुप्रा)* के मामले में निर्धारित कानून, जिस पर अपीलकर्ता के वकील ने भरोसा रखा है, अपीलकर्ता के लिए भी सहायक नहीं है क्योंकि शिकायत किए गए अपराध का संबंधित अदालत की कार्यवाही के साथ उचित रूप से निकट संबंध नहीं था और दं.प्र.सं. की धारा 340 के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि धारा 195 (1) (बी) में विस्तृत अपराध और अदालत के समक्ष कार्यवाही के बीच उचित संबंध है और इस पहलू पर, अपीलकर्ता के लिए उपस्थित विद्वान वकील ने इस अदालत को संतुष्ट नहीं किया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव (सुप्रा)* के मामले में निर्धारित कानून, जिस पर अपीलकर्ता के वकील ने भरोसा रखा है, अपीलकर्ता के लिए भी सहायक नहीं है क्योंकि उक्त मामले का फैसला अलग संदर्भ में किया गया था।

6. तदनुसार, इस न्यायालय की राय में, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता की प्रार्थना को सही ढंग से खारिज कर दिया है और तत्काल अपील में कोई योग्यता नहीं है, इसलिए इसे खारिज कर दिया जाता है।

(शैलेंद्र सिंह,
न्यायमूर्ति)

अन्नू/-

विचारण न्यायालय

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।